

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2022—ज्येष्ठ 27, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 13 जून 2022

क्र. एफ-3-26-2022-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-26-2022-अठारह-5, दिनांक 18 मई 2022 द्वारा भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन जारी की गई थी इसकी सूचना साधारण राजपत्र के भाग-4(ग) में दिनांक 27 मई 2022 को प्रकाशित हुई है. उक्त हिन्दी की सूचना में त्रुटिवश “नियम-2” का उल्लेख छूट गया है. अतः प्रारूप संशोधन के पश्चात् प्रथम पैरा को संशोधन उपरान्त निम्नानुसार पढ़ा जावे:—

- ० “उक्त नियम-2 के, उप-नियम (5) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.